संख्या-116/2021/1913/सैंतीस-2-2021-1(25)/10टीसी

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 नवम्बर, 2021

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-196/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-25/2019-20, दिनांक-28.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत अर्थात् रू0-20.085 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से कुल रू0-1426.035 लाख (रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	जनपद	पशुचिकित्सालय का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	अलीगढ़	गभाना	20.085
2	अलीगढ़	हरदोई	20.085
3	अमेठी	अमेठी	20.085
4	अमेठी	भेटुवा	20.085
5	अमेठी	जामो	20.085
6	अमेठी	संग्रामपुर	20.085
7	औरैया	भाग्यनगर	20.085
8	अयोध्या	अयोध्या	20.085
9	आजमगढ़	तहबरपुर	20.085
10	बागपत	बिनौली	20.085
11	बलिया	चिलकहर	20.085
12	बाराबंकी	बड्डोपुर	20.085
13	बाराबंकी	चौबीसी	20.085
14	बाराबंकी	फतेहगंज	20.085
15	बाराबंकी	सुबेहा	20.085
16	बाराबंकी	उधौली	20.085
17	बरेली	रामनगर	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	बस्ती	बहादुरपुर	20.085
19	बस्ती	कप्तानगंज	20.085
20	बस्ती	कुदरहा	20.085
21	बहराईच	गायघाट	20.085
22	बहराईच	कलॉम सतरही	20.085
23	बहराईच	कटरा बहादुरगंज	20.085
24	भदोही	दुर्गागंज	20.085
25	एटा	राजा का रामपुर	20.085
26	फिरोजाबाद	कोटला	20.085
27	गौतमबुद्ध नगर	सदर (कासना)	20.085
28	गाजियाबाद	शाहपुर बम्हेटा	20.085
29	गाजीपुर	बहरियाबाद	20.085
30	गोण्डा	वजीरगंज	20.085
31	हापुड़	बैना	20.085
32	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	20.085
33	हापुड़	हापुड़	20.085
34	हरदोई	भरावन	20.085
35	हरदोई	हरियावां	20.085
36	हरदोई	साण्डी	20.085
37	जौनपुर	घनश्यामपुर	20.085
38	कन्नौज	उमर्दा	20.085
39	कौशाम्बी	चायल	20.085
40	कौशाम्बी	कड़ा	20.085
41	कौशाम्बी	पश्चिम शरीरा	20.085
42	कुशीनगर	तरयांसुजान	20.085
43	लखीमपुर खीरी	बिजुवा	20.085
44	लखनऊ	गोसाईगंज	20.085
45	लखनऊ	माल	20.085
46	लखनऊ	निगोहा	20.085
47	लखनऊ	सदर (हैवलक रोड)	20.085
48	मथुरा	माधुरीकुण्ड	20.085
49	मेरठ	बहसुमा	20.085
50	मेरठ	हस्तिनापुर	20.085
51	प्रतापगढ़	आसपुर देवसरा	20.085
52	प्रतापगढ़	सांगीपुर	20.085
53	प्रतापगढ़	शिवगढ़(भागीपुर)	20.085
54	प्रतापगढ़	सण्डवाचन्द्रिका	20.085
55	प्रयागराज	बारा	20.085
56	प्रयागराज	खीरी	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

57	प्रयागराज	शंकरगढ़	20.085
58	रायबरेली	नसीराबाद	20.085
59	रायबरेली	सताँव	20.085
60	संत कबीर नगर	खलीलाबाद	20.085
61	शाहजहाँपुर	अल्लागंज	20.085
62	शाहजहाँपुर	देवकली	20.085
63	शाहजहाँपुर	जैतीपुर	20.085
64	शाहजहाँपुर	मिर्जापुर	20.085
65	सीतापुर	मछरेहटा	20.085
66	सीतापुर	पहला	20.085
67	सीतापुर	पिसावां	20.085
68	सीतापुर	रामकोट	20.085
69	वाराणसी	चौबेपुर	20.085
70	वाराणसी	जक्खनी	20.085
71	वाराणसी	सदर (मोतीझील)	20.085
योग-			**1426.035**

(रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1898/दस-2021-2022, दिनांक-02.11.2021 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

<u>पृ0सं0-116/2021/1913(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।